

राजस्थान सरकार  
वित्त (कर) विभाग

क्रमांक एफ. 7(7)वित्त/कर/2026

जयपुर, दिनांक- 14/05/2026

--: आज्ञा ::--

राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा, 2024 के परिणाम के आधार पर एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंसा के आधार पर कार्मिक (क-4/2) विभाग की अशा. टीप क्रमांक प. 9(80)कार्मिक/क-4/2/2025/29202 दिनांक 19.03.2026 के द्वारा राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा में नियुक्ति हेतु संदर्भित निम्नलिखित अभ्यर्थी ने आवेदन प्रस्तुत कर कार्यग्रहण अवधि में छूट चाही है। अतः निम्नांकित अभ्यर्थी की व्यक्तिगत पारिवारिक परिस्थितियों के मध्यनजर कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक प. 8(3)कार्मिक/ए-11/73 दिनांक 18.10.1997 एवं दिनांक 24.03.2022 के अनुसार अभ्यर्थी को उनके नाम के समक्ष अंकित समयावधि की छूट प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	मेरिट नं.	नाम	कार्यग्रहण अवधि में विस्तार की अवधि
1.	1389	SMT. HEMLATA MAHAWAR	23.07.2026 तक

उक्त तालिका में अंकित अभ्यर्थी श्रीमती हेमलता महावर को निर्देशित किया जाता है कि अभिवृद्धि पश्चात अपनी उपस्थिति आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। शेष शर्तें इस विभाग की आज्ञा क्रमांक प. 7(7)वित्त/कर/2026 जयपुर, दिनांक 20.03.2026 के अनुसार यथावत रहेंगी।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,



(नथमल डिडेल)

विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-4/2) विभाग को उनकी अशा. टीप क्रमांक प. 9 (80)कार्मिक/क-4/2/2025/29202 दिनांक 19.03.2026 के क्रम में।
5. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. सिस्टम एनालिस्ट, संयुक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
7. श्रीमती हेमलता महावर पुत्री श्री परशुराम महावर, ग्राम पोस्ट बॉसखोह, मस्जिद के पास, जयपुर-303305 (मोबाईल नम्बर 8595215368)।
8. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।



विशिष्ट शासन सचिव